

C.P. 7  
29/1/13

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. of 2013.

Birendra Kumar Mishra.....Petitioner.

Vrs.

The State of Bihar & others.....Respondents

Sub: -

Retiral benefit

INDEX

<u>Sl. No.</u>	<u>Particulars.</u>	<u>Pages.</u>
1.	Petition with affidavit.	1 to 13
2.	Annexure-1. Photo/type copy of Appointment letter. dt- 13.1.77	— 14
3.	Annexure-2. Photo/type copy of Memo No. 448 dt. 4.4.86.	— 15-16
4.	Annexure-3. Photo/type copy of office order no. 408 dt. 12.6.86.	— 17
5.	Annexure-4. Photo copy of Memo No. 687 dt. 28.7.86.	— 18
6.	Annexure-5. Photo/type copy of representation dt. 11.4.89.	— 19
7.	Annexure-6. Photo/type copy of order no. 451-2 dt. 18.3.13.	— 20
8.	Annexure-7Series. Photo/type copy of representations.	— 21-23
9.	Vakalatnama.	

ii.

was absorb in the agriculture department vide memo no. 448 dated 4.4.86 as per the decision of the State Government The Corporation release the petitioner to join his new assignment vide office order No.408 dated 12.6.86, accordingly ~~pet~~<sup>petitioner</sup> submitted his joining in the office of the respondent collector on 13.6.86. The respondent Collector vide his office order contained in memo no. 687 dated 28.7.86 posted the petitioner under the respondent B.D.O. on the post of village level worker. Since then the ~~post~~<sup>petitioner</sup> has been discharge his duties, with full satisfaction of his controlling authority.

During the service terms as the V.L.W. The petitioner has been granted first benefit under A.C.P. Scheme, through the petitioner is entitled for three promotions under A.C.P. Scheme 2009. The petitioner Superannuated from his service on 31.1.13. The pensionary benefits of the petitioner has not been counted from the initial appointment in the corporation, as has erroneously be counted from the date the petitioner join the office of respondent Collector.

iii.

**Date of Events.**

**18.1.77.**

**Ann.1:-**

Appointment letter of the petitioner.

**4.4.86.**

**Ann.2:-**

The petitioner's service was absorbed in the agriculture department at Madhepura vide memo no. 448.

**12.6.86.**

**Ann.3:-**

Office order released from the Bihar Agro Industries Development Corporation Vide Office Order No. 408.

**28.7.86.**

**Ann.4:-**

Memo no. 687 issued by the Collector Madhepura.

**11.4.89.**

**Ann.5:-**

Petitioner's representations filed before the Managing Director of Bihar State Agro Industries Development Corporation Ltd.

**18.3.13.**

**Ann.6:-**

Order issued by Respondent Block Development Department Alamnagar vide order no. 451-2.

**Ann.7 series:-** Petitioner's representations.

Hence this writ application.

\*\*\*\*\*

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA**

**(Civil Writ Jurisdiction)**

**C.W.J.C.No.                      of 2013.**

In the matter of an application  
under Article 226 of the  
Constitution of India.

**AND**

In the matter of:

Birendra Kumar Mishra, son of late Rameshwar Mishra,  
resident of village Nehalpatti, P.S. (Bharrahi) Madhepura,  
Distt. Madhepura.

.....Petitioner.

**Vrs.**

1. The State of Bihar, through the Principal Secretary  
Agriculture Department, Bikash Bhawan, Patna.

2.

2. The Joint Secretary Agriculture Department, 'Bikash Bhawan, Patna.

3. The Bihar State Agro Industries Development Corporation Ltd. (Government under taking) through its managing Director, Sinha Library Road, Bihar, Patna.

4. The Collector, Madhepura.

5. The Block Development Officer, Alamnagar, Madhepura.

..... Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M.Doshit, the Chief Justice of the Hon'ble High Court of Judicature at Patna and his companion justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of  
the petitioner above named.

**Most Respectfully Sheweth:-**

1. That this writ application is being filed for issuance of a writ in the nature of Mandamus or any other appropriate writ/writs, direction/directions, for commanding the respondents for calculate the entire post retrial benefits payable

3.

to the petitioner, calculating his entire passed services rendered under the respondents Bihar Agro Industries Development Corporation (as on referred to corporation) with the benefits of A.C.P. Scheme.

This writ application also being filed for other reliefs as well.

The petitioner was initially appointed as a routine clerk under the respondent corporation, w.e.f. 27.1.77 under the scheme of the State Government to absorb the service of the employee of the board/corporation the services of the petitioner was absorb in the agriculture department vide memo no. 448 dated 4.4.86 as per the decision of the State Government The Corporation release the petitioner to join his new assignment vide office order No.408 dated 12.6.86, accordingly petitioner submitted his joining in the office of the respondent collector on 13.6.86. The respondent Collector vide his office order contained in memo no. 687 dated 28.7.86 posted the petitioner under the respondent B.D.O. on the post of village level

4.

worker. Since then the petitioner has been discharge his duties, with full satisfaction of his controlling authority.

During the service terms as the V.L.W. The petitioner has been granted first benefit under A.C.P. Scheme, though the petitioner is entitled for three promotions under A.C.P. Scheme 2009. The petitioner Superannuated from his service on 31.1.13. The pensionary benefits of the petitioner has not been counted from the initial appointment in the corporation, as has erroneously be counted from the date the petitioner join the office of respondent Collector.

2. (i) The respondent be command to calculate the pensionary benefits payable to the petitioner from the date of initial appointment in the corporation and grant the benefits of passed services of the petitioner.
- (ii) The respondent be commanded to grant three promotions under A.C.P. Scheme two promotions under the A.C.P. Scheme 2003 w.e.f. 9.8.99 and third benefits under A.C.P. Scheme 2009.
- (iii) The petitioner extended any other relief/reliefs as well.

5.

3. That the point of law involved in this writ application falls within the narrow compass.

As to whether the benefits of passed service of the petitioner can be denied specially when there is no break or interruption in the service from 1977 to January 2013 and absorption of the petitioner in agriculture department shall mean incorporating the previous service into the service and whether an employee be came part and partial of the department entitles him for all the benefits present and previous and whether denial of previous service rendered by the petitioner in corporation amounts to deprivation of the petitioner right and whether entire action on the part of the respondents are based on a wrong and erroneous assumption of facts and whether the action on the part of the Respondent's discriminatory in as such as similarly situated employee of the board/corporation has been extended the benefits of the passed service which has denied to the petitioner and whether absorption of an employee from an instrumentality of the State to the Department of the State does not means absorption from



6.

the date of initial appointment and whether the petitioner entitled for the benefits of the A.C.P. Scheme as the petitioners discharged his duties on a post for more than 35 years.

4. That, the petitioner is citizen of India.

5. That the petitioner was initially appointed as a routine clerk under the Bihar Agro Industries Development Corporation w.e.f. 18.1.77 with due process.

Photo copy of appointment letter is being annexed herewith and marked as Annexure-1 to this petition.

6. That, under the scheme of the State of Bihar services of the employee of the corporation/Board, the services of the petitioner was absorbed in the agriculture department at Madhepura Vide Memo No. 448 dated 4.4.80.

Photo copy of Memo No. 448 dated 4.4.86 is annexed herewith and marked as Annexure-2 to this petition.

8.

though the petitioner is entitle for three promotions under A.C.P. Scheme 2009. The first joining of the petitioner was 1977 there after the petitioner has been discharging his duties with full satisfaction of his controlling authority.

10. That the petitioner filed a representation on 11.4.89 before the managing director of Bihar State Agro Industries Development Corporation Ltd. For recommendation to the personnel department of Bihar for the Calculate the Service period of the petitioner from the initial appointment in the department of Bihar State Agro Industries Development Corporation Ltd. (undertaking).

Photo copy of representation dated 11.4.89 is annexed herewith and marked as Annexure-5 to this petition.

11. That, the petitioner has been superannuated from his service on 31.1.13. The pensionary benefits of the petitioner has not been counted from the initial appointment in the

11.

18. That, an employee because part and partial of the department entitles him for all the benefits present and previous.

19. That, the denied of the previous service rendered by the petitioner in corporation amounts to deprivation of the petitioner's right.

20. That, entire action on the part of the respondents are based on a wrong and erroneous assumption of facts.

21. That, the action on the part of the respondent's discriminatory in as much as similarly situated employee of the board corporation has been extended the benefits of the past service which has denied to the petitioner.

22. That, the absorption of an employee from an instrumentality of the State to the department of the state does not means absorption from the date of initial appointment.

23. That, the petitioner entitled for the benefits of the A.C.P. Scheme as the petitioner has discharging his duties on a post more then 35 years.

12.

24. That, the petitioner has no other efficacious and expeditious remedy other than to move to this Hon'ble Court in its writ jurisdiction.

25. That the petitioner has not come to this Hon'ble Court earlier in this matter.

It is, therefore, prayed that your lordship may graciously be pleased to admit the application issue Rule NISI calling upon the respondents to show cause as to why the relief made in paragraph 2 of the writ petition be not allowed and on return of the Rule and after hearing the parties make the Rule absolute.

**AND/OR**

Pass such any other order or orders as your lordships may deem fit and proper in the facts and circumstance of the case.

And for these the petitioner shall ever pray.

"AGRIND"

Annexure - 1

Phone : 21218 & 26602

# Bihar State Agro-Industries Development Corporation Ltd. ( GOVERNMENT UNDERTAKING )



Regd. Office:  
KRISHI UDYOG BHAWAN.  
Sinha Library Road  
Patna-800001.

REGISTERED

No. R84

Patna, the 13.1.1977

To

Shri Himanshu Kumar Mishra,  
Grem - Nahalgatti,  
P.O. Bharnati Bazar,  
Bihar.

Sub:

Appointment to the post of Routine Clerk in the  
scale of pay of Rs.220-4-240-~~SE~~-5-290-~~SE~~-5-315.

The Corporation offers him an ~~ad hoc~~ appointment on temporary basis to the post of Routine Clerk in the scale of pay of Rs.220-4-240-~~SE~~-5-290-~~SE~~-5-315 plus allowances as admissible under the Corporation for a period of six months with effect from the date he joins. His services will be governed by the rules of the Corporation as adopted from time to time. During the course of employment ~~he~~ can be posted anywhere within the State.

He is directed to join the post at unit office, Pt. Bar-Bishnaganj at Awahpara Bazar on or before 30th Jan., '77 if which the order shall be in force as per usual.

At the time of joining, he will be required to produce -

- (i) A certificate of medical fitness from a Govt. Medical Officer not below the rank of Civil Surgeon ; and
- (ii) An affidavit that he has not accepted any dowry in case he is married or that if he is unmarried, he will not accept dowry when he gets married.

*(Signature)*  
13.1.1977  
Secretary.

Amipur-2  
बिहार सरकार,  
कृषि विभाग ।

पत्रांक-वि०बै०रथा०-02/85/सं०428/वि०बै०/क०, पटना, दिनांक 4 अप्रैल, 86 ।

प्रेषक,

डा० एम० पी० शुक्ला,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
पटना/नालन्दा/गया/मधेपुरा/एवं रोहतास ।

विषय :- बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अतिरिक्त घोषित कर्मचारियों को विश्व बैंक कृषि प्रसार परियोजना के अन्तर्गत कृषि परामर्शी प्र. इ. डब्लू के रिक्त पदों पर समायोजित किए जाने के संबंध में ।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के निम्नलिखित 12 अतिरिक्त घोषित कर्मचारियों को विश्व बैंक कृषि प्रसार परियोजना के अन्तर्गत भी०ई०डब्लू के रिक्त पदों पर वेतनमात्र 580-860 /- रु० में समायोजित किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है । इन कर्मचारियों को उनके गृह जिला में अथवा निकटवर्ती जिला में समायोजित कर पदस्थापित किया जाना है । आपके जिले से संबंधित कर्मचारियों की सूची नीचे अंकित है :-

जिला पदाधिकारी, पटना

- 1- श्री इन्द्रदेव सिंह - ग्राम-बुहुचक, पो०-फतुहा, जिला पटना
- 2- मु० आसिफ अली - ग्राम-पो०- बहपरा, जिला पटना
- 3- श्री उदय शंकर सिंह - ग्राम दरियापुर, पो०-फतुहा, जिला पटना
- 4- श्री कृष्णनन्दन प्रसाद - ग्राम-बुहुचक, पो०-फतुहा, जिला पटना
- 5- श्री बलराम सिंह - ग्राम-बुहुचक, पो०-फतुहा, जिला पटना
- 6- श्री उमेश प्रसाद सिंह- स्टेशन बाजार बाढ़, जिला पटना
- 7- श्री राजेश्वर प्र० सिंह - ग्राम-मवासपुर, पो०-जेतिया, भाया-हजरत साईं  
जिला पटना ।

जिला पदाधिकारी, रोहतास

- 8- श्री राजाराम सिंह - ग्राम-बेहरा, पो०-अगरसंडा, जिला भोजपुर

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा

- 9- श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा - ग्राम-नेहालखट्टी, पो०-भर्राही बाजार,  
जिला मधेपुरा

जिला पदाधिकारी, गया

10- श्री वैश्य लाल माँझी - ग्राम-काभदारचक, पो०-कुर्था, जिला गया  
जिला पदाधिकारी, नालन्दा

11- श्री राजेन्द्र लाल - ग्राम-पो०- माधोपुर, जिला-नालन्दा

12- श्री रतीस कुमार- ग्राम श्रीचन्दपुर, पो०-हरनौत, जिला-नालन्दा

2- इन कर्मचारियों को कृषि परामर्शी के रिक्त पद, वेतनमान 580-860  
₹ में समायोजित किया जाय । इन्हें वर्तमान में वही वेतन प्राप्त होगा जो अभी  
इन्हें बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम में प्राप्त हो रहें है ।

3 - समायोजन के पश्चात् सरकारी सेवक हो जायेंगे और सरकारी  
सेवकों को जो सुविधा प्राप्त है वहीं इन्हें प्राप्त होगा ।

4 - इन कर्मचारियों के द्वारा निगम में की गयी सेवा की गणना सरकारी  
सेवा में किए जाने के संबंध में कार्मिक विभाग की राय प्राप्त करने के पश्चात्  
ही निर्णय लिया जायगा ।

5- समायोजन द्वारा नियुक्ति का आदेश कृपया शीघ्र निर्गत किया  
जाय तथा इसकी सूचना विभाग को भी देने का कष्ट करें । बिहार राज्य कृषि  
उद्योग विकास निगम को निदेश दिया जा रहा है कि वे संबंधित कर्मचारियों को  
योगदान देने हेतु शीघ्र विरमित किया जनय ।

6 - विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सूचना प्राप्त होते ही इन  
कृषि परामर्शियों को भाग लेना है ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप सं० 448 वि००/क० पटना, दिनांक 4 अप्रिल, 86

प्रतिलिपि संबंध निदेशक, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम,  
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इन कर्मचारियों को  
संबंधित जिला पदाधिकारी के अधीन योगदान देने हेतु अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र  
के साथ कृपया शीघ्र विरमित किया जाय ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप सं० 448 वि००/क० पटना, दिनांक 4 अप्रिल, 86

प्रतिलिपि संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक, शिक्षा, बिहार, पटना  
को सूचनार्थ प्रेषित । इन कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था उनके समायोजन  
के पश्चात् कृपया शीघ्र किया जाय ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप सं० 448 वि००/क० पटना, दिनांक 4 अप्रिल, 86

प्रतिलिपि संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक, जिला कृषि पदाधिकारी  
प्रसार, अनुसंधान कृषि पदाधिकारी प्रसार, बाढ़, भुआ, मधेपुरा, शेरघाटी, बिहार-  
शरीफ को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

प्रागः सप्रतिष्ठ

सैन 070

विहार स्टेट (एम्प्लॉयमेंट) एक्ट, 1947 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए  
(सरकारी प्र तिष्ठान) सिन्हा जार्ज ब्रेरी रोड, पटना

कार्यालय आवेद सं० 408  
दिनांक 12.6.36

राज्य सरकार, कृषि विभाग के आदेश संख्या ई 488  
दिनांक 4/4/36 के अन्तर्गत श्री कीरेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रतिनिधि लिपिक, विहार  
राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, पटना (सैन्य समायोजन नो 0370 इ.सू. के पद  
340-360 के वेतनमान में हुआ है, जो कि जिला पदाधिकारी, भवेपुरा के अधीन में कार्य  
रहे हेतु दिनांक 12/6/36 के अपराह्न से विचारित किया जाता है।

ह / 0  
(सस 0 सन 0 पी 0 सिन्हा )  
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञाप सं०

दिनांक

प्रतिनिधि जिला पदाधिकारी भवेपुरा को सूचना सं  
बंध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। जिला पदाधिकारी से यह अनुरोध  
है कि श्री ~~0370~~ मिश्रा का नियुक्ति आदेश पत्र लिपि निर्गत करने की कृपा करें।

ह / 0  
(सस 0 सन 0 पी 0 सिन्हा )  
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञाप संख्या

दिनांक

प्रतिनिधि संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, विहार को  
उनके पत्रांक 488 दिनांक 4/4/36 के अनुपालन में सूचना सं प्रेषित।

ह / 0  
(सस 0 सन 0 पी 0 सिन्हा )  
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञाप संख्या

दिनांक

प्रतिनिधि जिला कृषि पदाधिकारी भवेपुरा को सूचना सं  
बंध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

ह / 0  
(सस 0 सन 0 पी 0 सिन्हा )  
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञाप संख्या

2714

12.6.36

प्रतिनिधि जिला कृषि पदाधिकारी भवेपुरा को सूचना सं  
बंध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।  
श्री ~~0370~~ मिश्रा का नियुक्ति आदेश पत्र लिपि निर्गत करने की कृपा करें।  
जिला पदाधिकारी से यह अनुरोध है कि श्री ~~0370~~ मिश्रा का नियुक्ति आदेश पत्र लिपि निर्गत करने की कृपा करें।  
जिला पदाधिकारी से यह अनुरोध है कि श्री ~~0370~~ मिश्रा का नियुक्ति आदेश पत्र लिपि निर्गत करने की कृपा करें।

ह / 0  
(सस 0 सन 0 पी 0 सिन्हा )  
प्रबन्ध निदेशक



सेवा में

Annexure - 5

प्रबन्धा निदेशक,

बिहार राज्य कृषि उद्योग विकसत निगम लिमिटेड,  
प्रधान कार्यालय (कृषि उद्योग भवन, सिन्हाल इट्टेरी  
रोड, पटना 80000।

महाशय,

सक्रिय निवेदन है कि मैं इस निगम में दिनांक 12.6.86 के पद पर दिनांक 27.1.77 से 12.6.86 तक कार्यरत था। कृषि विभाग के पत्रांक 488 वि.बै. दिनांक 4.4.86 के अलोक में जिला पदाधिकाओं, मधुपुरा के बापांक संख्या 687-2/स्था।० दिनांक 28.7.86 के द्वारा मेरी नियुक्त समायोजन के आधार पर कृषि परामर्शी (भौ. ई. डब्लू) के पद पर दिनांक 13.6.86 से को गयी है। मैं इस निगम से दिनांक 12.6.86 के अराहण में विरामित होने के उपरान्त जिला पदाधिकाओं, मधुपुरा के बापांक 687-2/स्था।० दिनांक 28.7.86 के अनुसार अनुमंडल कृषि पदाधिकाओं (प्रसार) मधुपुरा के यहाँ दिनांक 13.6.86 के अराहण में योगदान दिया है। और अभी तक कार्यरत हूँ। कृषि विभाग के पत्रांक 488 वि.बै. दिनांक 4.4.86 के कंडिका -4 के अनुसार निगम में को गयी सेवा को गणना सरकारों सेवा में किए जाने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग को राय प्राप्त करने के पश्चात हो निगम लिया जाना है।

अतः प्रार्थना है कि मैं द्वारा निगम में को गयी सेवा को गणना सरकारों सेवा में किए जाने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से राय प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग से अनुज्ञाता करने को कृपा की जाय।

विवास भाजन

अनुमक :- सैलमक

2/2/83 सु. नि. 10/83  
99-8-24  
॥ श्रीरन्दु कुमार मिश्र ॥  
कृषि परामर्शी  
अनुमंडल कृषि पदाधिकाओं  
(प्रसार) मधुपुरा।

कार्यालय - प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर (मधेपुरा)

कार्यालय - आदेश

आदेश संख्या :- 451-2

दिनांक :- 18/3/2013

बिहार सरकार के वित्त विभागीय पत्र संख्या - 819 दिनांक 23.09.2009 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 1852/1853 दिनांक 19.04.1990 एवं संलग्नगणक पत्रक के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र जो दिनांक 31.01.2013 के अपराहण में जनसेवक के पद से सेवा निवृत्त हुए हैं को दिनांक 01.02.2013 के पभाव से दो वर्षों या महालेखाकार, बिहार पटना से पेंशन प्राधिकार पत्र प्राप्त होने तक औपवांछिक पेंशन मो0 7649.00 (सात हजार छः सौ उनचास) रूपया एवं अनुमान्य राहत के साथ प्रतिमाह भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।


(2) बिहार सरकार के वित्त विभाग के संकल्प संख्या - 819 दिनांक 23.09.2009 एवं वित्त विभागीय पत्र संख्या - 3014 दिनांक 31.07.1980 एवं पत्रांक 1853 दिनांक 19.04.1990 में निहित प्रावधान के अनुसार अनुमान्य सेवा उपादन की राशि मो0 434150.00 (चार लाख चौतिस हजार एक सौ पचास) रूपया में से 10 प्रतिशत या मो0 1000.00 (एक हजार) रूपया में जो कम हो महालेखाकार बिहार, पटना से प्राप्त प्राधिकार पत्र निर्गत होने तक को रोक रखने का प्रावधान है को रोक कर मो0 433150.00 (चार लाख तेतीस हजार एक सौ पचास) रूपया की भुगतान की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार श्री विरेन्द्र कुमार मिश्र, सेवा निवृत्त जनसेवक को भुगतान किया जाय।

(3) पारिवारिक पेंशन सरकारी सेवा निवृत्त सेवक के मृत्यु होने पर मृत्यु की तिथि से संलग्नगणना पत्रक के अनुसार इनके आश्रित को देय होगा।

(4) यह राशि मुख्य शीर्ष - 2071 - पेंशन और सेवा निवृत्त लाभ, उपमुख्य शीर्ष -- 01 असैनिक लघु शीर्ष - 101 - अधिवर्सता सेवा निवृत्त भत्ते/ 104 उपादानों उपशीर्ष - उत्तरवर्ती बिहार राज्य से सेवा निवृत्त होने वाले कर्मियों को भुगतान से विकलनिय होगा।

(5) इस राशि की निकासी कोषागार मधेपुरा से की जायेगी।

(6) इसकी सूचना सभी सम्बन्धित पदाधिकारी को दी जाय।

  
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,  
आलमनगर।


ज्ञापक - 451-2

दिनांक 18/3/2013

प्रतिलिपि :- संलग्नगणना पत्र की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, सेवा निवृत्त जनसेवक, प्रखण्ड कार्यालय, आलमनगर, ग्राम  
- नेहालपट्टी, पो0 - मानीकपुर, जिला - मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

  
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,  
आलमनगर।

सेवा में

जिला पदाधिकारी महोदय  
मधेपुरा ।

विषय:-नियुक्ति की तिथि 27.1.1977 /बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास  
नियम पटना/ से सेवा गणना करने एवं सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन  
योजना का लाभ पेंशन एवं अन्य लाभ उक्त तिथि से देने के संबंध  
में ।

प्रसंग:- भवदीय को दिनांक 18.7.2013 को समर्पित आवेदन ।  
महाशय

निवेदन के साथ सादर सूचित करना है कि भवदीय को दिनांक  
18.7.2013 को समर्पित आवेदन पर अभी तक कोई भी समुचित कार्रवाई  
नहीं की गयी है। पुनः इस आवेदन के साथ श्रीमान का ध्यान आकृष्ट  
करना चाहता हूं कि नियुक्ति की तिथि 22.1.1977 /बिहार राज्य कृषि  
उद्योग विकास निगम पटना/ से सेवा गणना करने एवं सुनिश्चित वृत्ति  
उन्नयन योजना लाभ पेंशन एवं अन्य लाभ उक्त तिथि से देने की कृपा  
की जाय। चूंकि मैं दिनांक 31.1.2013 को जनसेवक पद से सेवा निवृत्त  
हो गया हूं ।

ज्ञातव्य हो कि मुख्य सचिव बिहार पटना के पत्रांक 1014 दिनांक  
24.5.84 सरकार के अपर सचिव पटना से पत्रांक 1522 दिनांक 29.11.84  
सरकार के संयुक्त सचिव कृषि पटना के पत्रांक 1128 दिनांक 19.9.85  
सरकार के संयुक्त सचिव कृषि पटना के पत्रांक 488 दिनांक 4.4.1986  
प्रबंध निदेशक बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम पटना के पत्रांक  
2714 दिनांक 12.6.86 का अवलोकन किया जाय/फोटो प्रति संलग्न/ ।

अतः पुनः अनुरोध है कि मेरा सेवा गणना दिनांक 27.1.1977 से  
करने का आदेश दिया जाय । ताकि सुनिश्चित कृषि उन्नयन योजना  
लाभ पेंशन एवं अन्य लाभ प्राप्त तिथि से मिल सके । इसके लिये सदा  
आभारी रहूंगा ।

अनुलग्नक:-

1. पूर्व के आवेदन दिनांक  
18.7.2013 का फोटो प्रति
  2. आदेश का फोटो प्रति
- 6 /छ/ संलग्न ।

विश्वासभाजन  
वीरेन्द्र कुमार मिश्र  
सेवा निवृत्त जनसेवक  
प्रखण्ड कार्यालय आलमनगर  
ग्राम नेहालपट्टी  
पो. मानीकपुर  
जिला मधेपुरा  
दिनांक 3.8.2013

सेवा में

जिला पदाधिकारी महोदय

मधेपुरा ।

विषय:-नियुक्ति की तिथि 27.1.1977/बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम पटना/ से सेवा की गणना करने एवं सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ उक्त तिथि से देने के संबंध में ।

महाशय

निवेदन के साथ सूचित करना है कि मेरी नियुक्ति बिहार राज्य उद्योग विकास निगम पटना के अन्तर्गत दिनचार्या लिपिक के पद पर दिनांक 27.1.1977 को हुआ था । बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम से अतिरिक्त धोषीत कर्मचारी होने के उपरांत मेरा समायोजन आपके अधीन भी.ई.डब्लू./जनसेवक/के पद पर सरकार के संयुक्त सचिव कृषि विभाग पटना के पत्रांक 488 दिनांक 4.4.86 के द्वारा किया गया। मैं बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम पटना में दिनांक 27.1.1977 से 12.6.1986 तक कार्यरत था । निगम के ज्ञापांक 2714 दिनांक 12.6.86 के आलोक में अपराहन में विरमीत होकर भवदीय के कार्यालय में संयुक्त सचिव कृषि पटना के पत्रांक 488 दिनांक 4.4.86 के आलोक में दिनांक 13.6.86 के पूर्वाहन में योगदान किया तथा भवदीय के पत्रांक 687.2 दिनांक 28.7.86 को भी.ई.डब्लू./जनसेवक/के पद पर समायोजन के आधार पर नियुक्ति कर अनुमंडल कृषि पदा./प्रसार/मधेपुरा के यहां पदस्थापित किया गया। तब से मैं दिनांक 31.1.13 तक जनसेवक के पद पर कार्य किया एवं सेवा निवृत्त दिनांक 31.1.2013 हो गया ।

ज्ञातव्य हो कि मुख्य सचिव बिहार पटना पत्रांक 1014 दिनांक 24.5.84 सरकार के अपर सचिव पटना के पत्रांक 1522 दिनांक 29.11.84 सरकार के संयुक्त सचिव कृषि पटना के पत्रांक 1128 दिनांक 19.9.85 सरकार के संयुक्त सचिव कृषि पटना के पत्रांक 488 दिनांक 4.4.1986 प्रबंध निदेशक बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम पटना के पत्रांक 2714 दिनांक 12.6.86 का अवलोकन किया जाय।/फोटो प्रति संलग्न/।

2.

परन्तु मुझे समायोजन नहीं करते हुए दिनांक 13.6.86 से समायोजन के आधार पर नियुक्ति कर सेवा गणना किया जा रहा है। जिस कारण मूझे पेंशन एवं अन्य लाभ में काफी क्षति हो रही है। मैं एक अल्प योगी सेवा निवृत्त कर्मचारी हूं।

अतः अनुरोध है कि मेरा सेवा गणना दिनांक 27.1.2?1977 से करने का आदेश देने की कृपा की जाय ताकि पेंशन इत्यादित का लाभ मिल सके। साथ ही साथ मूझे सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ की गणना दिनांक 27.1.1977 किया जाय। अभी तक मूझे एक ही बार दिनांक 13.6.86 से सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ मिला है। इसके लिये सदा आभारी रहूंगा।

अनुलग्नक—

1. छह फोटो प्रति  
आदेश का संलग्न।

विश्वासभाजन  
वीरेन्द्र कुमार मिश्र  
सेवा निवृत्त जनसेवक  
प्रखण्ड कार्यालय आलमनगर  
ग्राम नेहालपट्टी  
पो. महनीपुर  
जिला मधेपुरा  
दिनांक 18.7.2013

Annexure - A

समाहरणालय, स्थापना प्रशाखा, मधेपुरा ।  
=====

आदेश

सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, पटना के पत्रांक वि०वै०स्था०-02/85  
[खंड] 488 वि०वै०/कृ०पटना दिनांक 4-4-86 के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र  
बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अतिरिक्त घोषित कर्मचारी, ग्राम-नेहालपट्टी  
पो०-भरही बाजार, जिला-मधेपुरा को कृषि परामर्शी [भी०ई०डब्ल्यू०] के पद पर  
दिनांक 13-6-86 के पूर्वाह्न से बेतनमान 580-10-620-15-770-ई०बी०-15-860 में  
औपबन्धिक रूप से समयोजन द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा इन्हें अनुमण्डल कृषि  
पदाधिकारी, प्रसार, मधेपुरा के अधीन पदस्थापित किया जाता है ।

यह नियुक्ति बिल्कुल ही अस्थायी है तथा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी  
समय बिना कारण बताये इनकी सेवा समाप्त की जा सकती है ।

श्री मिश्र, को बेतन भुगतान कृषि विभागीय पत्रांक 488 दिनांक 4-4-86  
के कण्डिका-2 में उल्लेखित वही बेतन प्राप्त होगा जो अभी इन्हें बिहार राज्य कृषि  
उद्योग विकास निगम में प्राप्त हो रहा है । कण्डिका-4 के अनुसार श्री मिश्र की सेवा की  
गणना सरकारी सेवा में किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग की राय केवल प्राप्त  
करने के पश्चात् ही निर्णय लिया जायगा । कण्डिका-6 के अनुसार विभागीय प्रशिक्षण  
प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग से सूचना प्राप्त होते ही इन्हें भाग लेना होगा ।

इसकी सूचना सम्बंधित पदाधिकारियों एवं श्री मिश्र को दी जाय ।

ह०-आलोक कुमार सिंहा,  
जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा ।

जापांक... 687... /स्था० दिनांक 28 जुलाई, 1986 ई० ।

प्रतिलिपि श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, ग्राम-नेहालपट्टी, पो०-भरही बाजार,  
जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं उन्हें आदेश दिया जाता है कि पत्र पाते ही अनुमण्डल  
कृषि पदाधिकारी, प्रसार, मधेपुरा के कार्यालय में अविलम्ब योगदान दें ।

जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा ।

28/7/86

**AFFIDAVIT**

I, Birendra Kumar Mishra, aged about 62 years, son of late Rameshwar Mishra, resident of village Nehalpatti, P.S. (Bharrahi) Madhepura, Distt. Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows-

1. That I am Secretary of the Managing Committee of Atma Samarpan Middle School Bhokraha and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over to me which I have fully understood the same and they are true to my knowledge.
3. That the statement made in Para nos. 9, 10 & 12, 14 & 25 —  
 true to my knowledge and the statement  
 made in Para nos. 5, 6 & 13, — are true to my  
 information derived from the record and rest are by way of  
 submission before this Hon'ble Court.
4. That Annexures are photo/type copy of their respective originals.

*Birendra Kumar Mishra*

corporation as erroneously be counted from the date of joining in the office of the respondent collector.

12. That, the petitioner has given several representation before the authority concern for the benefits of time bond promotion as well as A.C.P. Scheme 2009 but in vain.

13. That, respondent Block Development Department Alamnagar vide his order no. 451-2 dated 18.3.2013 erroneously fixed the provisional pension of the petitioner which is bad in law and wrong on fact.

Photo copy of order no. 451-2 dated 18.3.13 is annexed herewith and marked as Annexure-6 to this petition.

14. That, after receiving the order no. 451-2 dated 18.3.13 the petitioner filed a representation on 2.9.13 before the collector for redressal his grievances, but in vain. The petitioner again filed a detailed representation on 18.7.13 before the authority concern, for redresal his grievances, but till date no action has been taken.



10.

Photo/typed copy of representations dated 3.8.13 and 18.7.13 are annexed herewith and marked as Annexure-7 series to this petition.

15. That, it is relevant to State here that, there is not a single day of breaking of the service of the petitioner. Due to Government policy the service of the petitioner absorb in the office of respondent Collector Madhepura, where the petitioner discharging his duties with the full, satisfaction of the authority concern.

16. That the petitioner has got unblemished service record.

17. That, the benefits of passed service of the petitioner cannot be denied specially when there is no break or interruption in the service from 1977 to January 2013 and absorption of the petitioner in agriculture department shall mean in incorporating the previous service in to service.

7.

7. That as per the decision of the Government of Bihar the petitioner released from the Bihar Agro Industries Development Corporation and Join his new assignment vide officer order ~~408~~ dated 12.6.86.

Photo copy of order 408 dated 12.6.86 is annexed herewith and marked as Annexure-3 to this petition.

8. That, the petitioner, has submitted his joining in the office of respondents Collector on 13.6.86. The respondent Collector has been pleased to posted the petitioner under the respondent B.D.O. on the post of village level worker vide his Memo no. 687 dated 28.7.86.

Photo copy of memo no. 687 dated 28.7.86 is annexed herewith and marked as Annexure-4 to this petition.

9. That, during the service period as the V.L.W. the petitioner has been granted first benefit under A.C.P. Scheme